

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-एम0ई0-3/2019/780

लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2019

आवश्यक सूचना

रिट याचिका संख्या-8616/2019 डा0 जितेन्द्र गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-01.04.2019 के द्वारा यू0पी0 नीट पी0जी0 2019 के जारी ब्रोशर में उल्लिखित Eligibility for admission के बिन्दु-2 को निरस्त (Quash) कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नीट पी0जी0-2019 में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम आल इण्डिया कोटा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस से उत्तीर्ण किया है, तथा डीम्ड विश्वविद्यालय (संतोष मेडिकल कालेज, गजियाबाद, डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित होने से पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर) से उत्तीर्ण की है, वे उत्तर प्रदेश राज्य की कोटे की सीटों हेतु अर्ह नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि उत्तर प्रदेश राज्य कोटे की सीटों हेतु विकल्प (Choice) भरा जाता है, तो उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

महानिदेशक